

महवा जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

बनाम

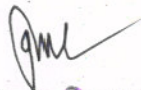
नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तम्मील
में जारी हुए

मु. सं.

जमान की सूचना 30 दिनों की अवधि में है।
जमान में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जमान का उचित कारण होना चाहिए। वादी द्वारा
जमान प्रस्ताव की सूचना न्यायालय में बिलम्ब
के कारण व बिलम्ब का कोई उचित कारण नहीं
होने के कारण वादी का दावा कंटेन्मेंट की
वजह से खारिज योग्य है।

अतः वादीगण का दावा मन्फे की
समय पर नहीं दिये जाने के कारण
कंटेन्मेंट में खारिज किया जाता है।
जमान की कशाल सुनार होकर नम्बर ले कम है।
वाद तम्मील दाखिल दस्तखत है।

दिनांक दि. 11.3.22 को सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)